

7.1.19.

वकील उभय पक्ष उपर। अपीलान्ट द्वारा शेष  
रेस्यो० के रजि० AD सम्मन पेश करने बावत  
एक और शौका देने का निवेदन किया पूर्व में  
कई अवसर दिये जा चुके हैं। अतः पत्रावली  
अवम तकमील में रवारिज की जाती है। पत्रा  
फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो बाद  
जाप्ता कारवेल दफ्तर हो।

भू प्रबन्ध अधिकारी  
पदेन  
राजस्व अमील प्राधिकारी  
भरतपुर (राज.)